मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०१६

वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१६ है. — संक्षिप्त नाम.

२. **मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये एक हजार छः सौ सत्ताईस करोड़ सत्तर लाख छः हजार चार सौ केवल होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.** — वित्तीय वर्ष २०१५-१६ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १६,२७,७०,०६,४०० का दिया जाना.

३. **इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.** — विनियोग.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार				
		राजस्व	४६,६१,८००	०	४६,६१,८००
१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	०	२,६०,१९,७५,०००	२,६०,१९,७५,०००
१७.	सहकारिता				
		राजस्व	२,०४,७०,३४,०००	०	२,०४,७०,३४,०००
२५.	खनिज साधन				
		राजस्व	०	३५,००,५२,०००	३५,००,५२,०००
२८.	राज्य विधान मंडल				
		राजस्व	१,४०,००,०००	०	१,४०,००,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य				
		राजस्व	१००	०	१००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.				
		राजस्व	८,००,००,००,०००	०	८,००,००,००,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण				
		पूंजी	०	२,८३,५००	२,८३,५००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	३,२५,९०,००,०००	०	३,२५,९०,००,०००
	योग	**राजस्व :**	१३,३२,४६,९५,९००	**२,९५,२०,२७,०००**	१६,२७,६७,२२,९००
		पूंजी :	०	**२,८३,५००**	२,८३,५००
	वृहद योग :		१३,३२,४६,९५,९००	**२,९५,२३,१०,५००**	१६,२७,७०,०६,४००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १० मार्च, २०१६.

जयन्त मलैया
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.